भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **771**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024/4 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की कालाबाजारी

771. श्री अरुण भारती:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उर्वरकों की कालाबाजारी और इसके मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण किसानों को हो रही कठिनाइयों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्तमान फसल मौसम के दौरान किसानों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न उर्वरकों की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति का बिहार, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि और कालाबाजारी को रोकने/नियंत्रित करने के लिए की गई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क), (ख) एवं (घ): किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध करवाया जाता है। यूरिया की 45 कि.ग्रा. की बोरी का अधिकतम खुदरा मूल्य 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभारों तथा यथा लागू करों को छोड़कर) है। इसके अलावा, भारत सरकार ने पीएण्डके उर्वरकों के लिए उचित दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, जिनमें यह सुनिश्चित किया गया है कि पीएण्डके उर्वरक किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। तदनुसार, सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और ये उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित है। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कालाबाजारी, जमाखोरी और तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। उर्वरकों की कालाबाजारी के संबंध में उर्वरक विभाग के स्तर पर प्राप्त किसी भी शिकायत को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाता है।

(ग): **अनुलग्नक** के अनुसार चालू फसल मौसम (23.07.2024 की स्थिति के अनुसार खरीफ 2024) के दौरान बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव सहित देश के सभी राज्यों में उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीकेएस की उपलब्धता सहज रही है।

******

दिनांक 26.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.771 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

खरीफ 2024 हेतु उत्पाद एवं राज्यवार स्थिति (23.07.2024 तक)

खरीफ 2024 के दौरान उर्वरकों की मांग, उपलब्धता/आपूर्ति तथा बिक्री (23.07.2024 तक)

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीकेएस			
क्रम.सं.	राज्य	खरीफ 2024 हेतु मांग	01.04.24 से 23.07.2024 तक मांग	01.04.24 से 23.07.2024 तक उपलब्धता/आपूर्ति	01.04.2024 से 23.07.2024 तक बिक्री	खरीफ 2024 हेतु मांग	01.04.24 से 23.07.2024 तक मांग	01.04.24 से 23.07.2024 तक उपलब्धता/आपूर्ति	01.04.2024 से 23.07.2024 तक बिक्री	खरीफ 2024 हेतु मांग	01.04.24 से 23.07.2024 तक मांग	01.04.24 से 23.07.2024 तक उपलब्धता/आपूर्ति	01.04.2024 से 23.07.2024 तक बिक्री	खरीफ 2024 हेतु मांग	01.04.24 से 23.07.2024 तक मांग	01.04.24 से 23.07.2024 तक उपलब्धता/आपूर्ति	01.04.2024 से 23.07.2024 तक बिक्री
1	अण्डमान और निकोबार	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	6.50	2.53	6.17	2.26	2.30	0.87	1.53	0.58	0.70	0.27	0.79	0.26	7.00	2.78	6.48	1.70
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.63	0.96	1.91	0.96	0.36	0.20	0.27	0.13	0.19	0.11	0.34	0.18	0.20	0.14	0.27	0.07
5	**बिहार**	**9.87**	**4.10**	**9.41**	**2.60**	**2.50**	**1.61**	**1.98**	**0.66**	**0.35**	**0.26**	**0.66**	**0.11**	**2.00**	**1.45**	**2.79**	**0.56**
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	6.50	5.13	6.92	5.02	3.40	2.81	2.86	2.39	0.58	0.46	0.72	0.46	1.20	0.92	1.97	1.28
8	**दादरा और नगर हवेली**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9	**दमन और दीव**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10	दिल्ली	0.08	0.06	0.15	0.11	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.02	0.01
12	गुजरात	11.85	7.13	9.22	6.05	3.50	2.78	2.52	1.94	0.35	0.28	0.41	0.13	3.00	2.30	4.24	2.05
13	हरियाणा	10.30	6.93	10.33	6.51	3.20	2.10	1.81	1.38	0.30	0.19	0.44	0.15	0.50	0.27	0.48	0.17
14	हिमाचल प्रदेश	0.34	0.22	0.35	0.23	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.16	0.10	0.13	0.08
15	जम्मू और कश्मीर	0.78	0.65	0.97	0.55	0.24	0.21	0.25	0.13	0.09	0.08	0.10	0.06	0.02	0.01	0.01	0.00
16	झारखंड	1.65	0.88	1.57	0.47	0.65	0.36	0.35	0.15	0.03	0.02	0.03	0.00	0.35	0.26	0.45	0.13
17	कर्नाटक	10.75	6.14	11.61	6.34	3.90	2.77	3.71	2.56	1.30	0.79	1.43	0.60	9.90	6.04	12.69	5.79
18	केरल	0.54	0.32	0.56	0.29	0.10	0.05	0.09	0.06	0.42	0.25	0.37	0.20	0.77	0.47	0.73	0.30
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	15.38	7.98	16.04	10.82	8.57	5.11	5.33	4.13	0.45	0.24	0.85	0.28	2.50	1.44	5.25	2.77
21	महाराष्ट्र	13.73	8.49	17.53	9.43	5.00	3.19	3.87	2.60	1.30	0.82	1.71	0.58	18.00	11.26	21.69	10.85
22	मणिपुर	0.16	0.14	0.09	0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
23	मेघालय	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.04	0.08	0.06	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	4.20	2.57	4.27	1.57	2.16	1.60	1.40	0.72	0.60	0.38	0.54	0.17	2.00	1.43	1.97	0.53
27	पुदुचेरी	0.08	0.05	0.06	0.04	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.02	0.05	0.02
28	पंजाब	11.50	10.26	17.02	11.22	3.60	1.92	2.30	1.39	0.50	0.32	0.50	0.17	1.00	0.75	0.51	0.15
29	राजस्थान	11.20	6.50	9.77	5.11	5.50	3.26	2.74	1.94	0.11	0.05	0.08	0.04	0.75	0.47	0.94	0.54
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	4.91	2.66	4.76	2.79	1.40	0.81	0.99	0.55	1.04	0.60	0.78	0.41	4.54	2.59	4.26	2.00
32	तेलंगाना	10.40	6.46	9.81	3.64	2.40	1.82	1.98	1.35	0.60	0.37	0.40	0.10	10.00	6.61	7.85	3.68
33	त्रिपुरा	0.08	0.05	0.16	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01
34	उत्तराखंड	1.00	0.76	1.17	0.83	0.15	0.13	0.22	0.10	0.03	0.02	0.05	0.01	0.20	0.14	0.12	0.06
35	उत्तर प्रदेश	38.00	21.44	39.90	15.90	9.05	5.18	7.90	3.87	0.47	0.18	0.82	0.16	6.00	2.74	4.28	1.30
36	पश्चिम बंगाल	5.60	3.31	7.53	2.57	1.80	0.98	1.19	0.37	0.80	0.45	1.17	0.34	4.00	1.67	6.35	1.73
	अखिल भारत	**177.12**	**105.77**	**187.42**	**95.49**	**59.87**	**37.85**	**43.36**	**27.05**	**10.26**	**6.17**	**12.28**	**4.43**	**74.19**	**43.92**	**83.57**	**35.81**

*** सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > मांग**

**** सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री**